

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजसमन्द

क्रमांक : एफ 37 / निर्वा / लो.स.चु. / निविदा / 2018-19 / 276

दिनांक : 27-02-19




खुली निविदा सूचना

आगामी लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए निम्नलिखित कार्यों के हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से ई प्रोक्योरमेंट पद्धति से दरें आमन्त्रित की जाती हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	सामग्री / कार्यों का विवरण	अनुमानित लागत रूपये लाखों में	अर्नेस्ट मनी रूपयों में	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय
1	टेन्ट, फर्निचर एवं बेरिकेटिंग व्यवस्था	16.00	32000	11.03.2019 5.00 PM तक	12.03.2019 1.00 PM तक
2	भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था	14.00	28000		
3	वीडियोग्राफी व्यवस्था	13.00	26000		

1. निविदा से संबंधित समस्त शर्तें व जानकारी राजस्थान लोक उपापन की वेबसाईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> विभागीय वेबसाईट <http://rajsamand.rajasthan.gov.in> एवं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र 200/- नकद या जिला निर्वाचन अधिकारी राजसमन्द के नाम जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करवाकर दिनांक 11.03.2019 को 05.00 PM तक इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र संबंधित वेबसाईट से अपलोड भी किया जा सकता है।
3. निविदा डिजीटल साइन से ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही दिनांक 12.03.2019 को 01.00 PM तक अपलोड करनी होगी। जिसे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन 03.00 PM पर खोला जाएगा।
4. निविदादाता द्वारा उपरोक्तानुसार अर्नेस्ट मनी व निविदा प्रपत्र वेबसाईट से अपलोड करने पर शुल्क 200/- एवं ई उपापन सुविधा उपलब्ध करवाने की एवज में RISL को राशि रूपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में जमा करवाना होगा।
5. निविदा को आंशिक/पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित होगा।



जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर राजसमन्द)

क्रमांक : एफ 37 / निर्वा / लो.स.चु. / निविदा / 2018-19 / 276

दिनांक 27-02-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

- 1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
- 2 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर),.....
- 3 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द।
- 4 केशियर कार्यालय हाजा को निविदा प्रपत्र विक्रय हेतु।
- 5 सदस्य क्रय समिति.....।
- 6 कार्यालय नोटिस बोर्ड।


जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर राजसमन्द)

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजसमन्द



निविदा प्रपत्र संख्या -
जारी करने की दिनांक -

- (1) विषय : लोक सभा आम चुनाव 2019 में आवश्यक अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था हेतु
निविदा
- (2) सन्दर्भ : निविदा सूचना क्रमांक..... दिनांक.....
- (3) निविदा प्रपत्र प्रेषित करने वाले का पूर्ण पता
.....
.....
मोबाइल नं0..... ई-मेल.....
GST No. PAN No.
बैंक खाता संख्या..... IFSC Code
- (4) निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रूपये 200/- का विवरण -
डी.डी. नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर तिथि -
बैंक का नाम -
- (5) अर्नेस्ट मनी राशि रु. 28000 /- जमा का विवरण -
डी.डी. नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर तिथि -
बैंक का नाम -
- (6) RISL जयपुर के नाम जारी 500/- जमा का विवरण -
डी.डी. नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर तिथि -
बैंक का नाम -
- (7) मैं/हम निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं।
शर्तों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

दिनांक :

संलग्न : निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र

लोक सभा आम चुनाव 2019 हेतु अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था करना

अनुमानित राशि : 14.00 लाख रू.

निविदा शुल्क : 200 रूपये

अर्नेस्ट मनी : 28,000 रूपये

निविदा प्रपत्र प्रेषित करने वाले का पूर्ण पता



क्र.सं.	सामग्री	इकाई	दर
अ. गरम पेय -			
1	चाय - प्रत्येक कप में 100 मि.ली चाय देनी होगी जिसमें 50 मि.ली. दूध होना चाहिए। (लॉग व अदरक युक्त होनी चाहिए)	प्रति कप	
2	काफी - प्रत्येक कप में 100 मि.ली देनी होगी	प्रति कप	
ब. अल्पाहार/भोजन पैकेट में निम्न मीनू अनुसार सामग्री की दरे देनी होगी			
I - अल्पाहार/नाश्ता			
(1)	कचौरी दाल वाली/समौसा (मात्रा 100 ग्राम)	प्रति नग	
(2)	मोतीचूर लड्डू देसी घी में (मात्रा 50 ग्राम)	प्रति नग	
(3)	मावा बर्फी	प्रति 100 ग्राम	
(4)	नमकीन	प्रति 100 ग्राम	
II - भोजन			
मीनू-अ	8 पूड़ी (वजन 200 ग्राम), सब्जी (आलू, मटर, टमाटर- मात्रा 150 ग्राम), अचार मिक्स (मात्रा 20 ग्राम) एवं पेपर नेपकीन।	प्रति पैकेट	
मीनू-ब	8 पूड़ी (वजन 200 ग्राम), सब्जी (आलू, मटर, टमाटर- मात्रा 150 ग्राम), अचार मिक्स (मात्रा 20 ग्राम), लड्डू देसी घी का नग 1 (मात्रा 50 ग्राम) एवं पेपर नेपकीन।	प्रति पैकेट	
मीनू-स	8 पूड़ी (वजन 200 ग्राम), सब्जी (आलू, मटर, टमाटर- मात्रा 75 ग्राम), सब्जी (छोला मसाला-मात्रा 75 ग्राम) अचार मिक्स (मात्रा 20 ग्राम), लड्डू देसी घी का नग 1 (मात्रा 50 ग्राम) एवं पेपर नेपकीन।	प्रति पैकेट	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील



भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्था हेतु विशेष शर्तें :-

1. उक्त सभी पेय एवं खाद्य सामग्री शुद्ध, ताजा एवं अच्छी किस्म की होनी चाहिए। खाद्य सामग्री तेल मूंगफली डबल रिफाइण्ड एगमार्क प्रमाणित प्रयुक्त करना होगा। आटा एवं मसाले एगमार्क के होने चाहिए।
2. कार्यादेश में अंकित समय एवं स्थान पर सामग्री अनिवार्य रूप से सप्लाई करनी होगी।
3. दरों में उपरी लेखन व काट-छांट नहीं करनी होगी।
4. न्यूनतम दर वाली पार्टी ने यदि समय पर कार्य चालू नहीं किया तो सिक्क्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जावेगी एवं उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य पार्टी से कार्य करवा लिया जावेगा। इस पर हुए अधिक व्यय की राशि स्वीकृत निविदादाता से वसूल की जावेगी।
5. निविदा लिफाफे पर "भोजन एवं अल्पाहार हेतु निविदा" अंकित होना चाहिए।
6. पेय एवं खाद्य सामग्री को इस कार्यालय द्वारा निर्देशित स्थल पर ही जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द के निरीक्षण एवं निर्देशानुसार तैयार कर वितरित करना होगा।
7. डिस्पोजेबल कप/पैकेट निविदादाता को ही उपलब्ध कराने होंगे जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. निविदादाता फर्म जिला निर्वाचन अधिकारी के स्टॉफ के अलावा किसी भी राजनैतिक दल की चाय, नाश्ता, लंच, डीनर की मतगणना स्थल पर व्यवस्था नहीं करेगी।
9. भोजन गत्ते के डब्बे में पैक करके देना होगा।
10. खाद्य सामग्री निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को उनके कार्यस्थल पर उपलब्ध करानी होगी जिसके लिए अलग से कोई प्रभार देय नहीं होगा।
11. उक्त दरें निर्वाचन विभाग में लगे कार्मिकों को राजकीय बजट से देय अल्पाहार एवं अन्य कार्मिकों के द्वारा निजी व्यय से क्रय करने हेतु कैंन्टिन व्यवस्था के लिए भी लागू होगी। कैंन्टिन स्थल पर दरों की सूची स्पष्ट नजर आने वाले स्थान व साईज में अनिवार्यतः लगानी होगी।

नोट : उपरोक्त समस्त शर्तों को मैंने पढ लिया है एवं मैं स्वीकार करता हूं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

निविदा प्रपत्र की सामान्य शर्तें



बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले वेबसाइट State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in> पर उपलब्ध The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 और The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2013 के प्रावधानों का अध्ययन कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें, बोली की शर्तों में कोई भिन्नता हो तो उक्त एक्ट एवं रूल्स के प्रावधान समय-समय पर होने वाले संशोधनों सहित लागू होंगे।

1. दरे समस्त करों सहित देनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की परिवहन, इन्सटॉलेशन, हेन्डलिंग चार्जस आदि देय नहीं होंगे।
2. निविदा प्रपत्र का शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जावेगा।
3. निविदाएं केवल वहीं मान्य होगी जो कि इस कार्यालय के निर्धारित निविदा प्रपत्र प्राप्त होगी।
4. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी अनुमानित कीमत की 2 प्रतिशत की दर से जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजसमन्द के नाम देय बैंक ड्राफ्ट/नगद कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करने से संबंधित आने वाली समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के हेल्प डेस्क नम्बर 0141-4022688 एवं टोल फ्री नम्बर 180030702232 एवं ई-मेल नम्बर eproc@rajasthan.gov.in एवं ऑफिस का पता ई प्रोक्योरमेंट सेल, RISL, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से संपर्क किया जा सकता है। ई उपापन सुविधा उपलब्ध करवाने की एवज में राशि रुपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो मैनेजर RISL जयपुर के नाम जारी हो निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में जमा करवाना होगा।
6. निविदादाता को फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न/ अपलोड करनी होगी।
7. दरें Eprocurement Portal पर ही प्रस्तुत करनी होगी। Eprocurement Portal पर उपलब्ध BOQ का नमूना निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है परन्तु इस नमूने में दरें नहीं लिखनी है।
8. निविदा प्रपत्र में उल्लेखित होने पर सामग्री का नमूना निविदा प्रपत्र के साथ देना होगा। नमूने के अनुसार ही सामग्री उपलब्ध करानी होगी।
9. आवश्यकतानुसार ही सामग्री क्रय करने हेतु या किराये पर लेने हेतु आदेश दिया जावेगा एवं उसी अनुरूप सामग्री की आपूर्ति की जानी होगी।
10. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को आदेश तिथि में अंकित निर्धारित समय पर सामान आवश्यकतानुसार चुनाव स्टोर, कलेक्ट्रेट, राजसमन्द या निर्देशित स्थान पर पहुंचाना होगा। जिसमें परिवहन व्यय देय नहीं होगा। सम्पूर्ण सामान के सुपुर्दगी के पश्चात ही पूर्ण भुगतान होगा।
11. निविदा को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने या सामग्री में कमी बेशी करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजसमन्द को होगा।
12. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
13. आदेश देने के बाद निर्धारित समय पर संबंधित सामग्री/सेवा प्रदायगी नहीं करने पर एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर स्वीकृत निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा और सिक्यूरिटी डिपोजिट राशि जब्त की जा सकेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर हुई हानि को निविदादाता से वसूल किया जावेगा।
14. स्वीकृत निविदा की राशि पर नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. काटकर भुगतान किया जा सकेगा। इसके अभाव में सभी भुगतान स्थगित रहेंगे।

15. सामग्री में टूट-फूट अथवा हानि का दायित्व निविदादाता का होगा और उसे ही हानि की भरपाई करनी होगी।
16. जो सामग्री सप्लाई की जायेगी उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा का प्रमाणीकरण निविदादाता द्वारा संबंधित कार्य प्रभारी से प्राप्त करके प्रस्तुत करनी होगी।
17. किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसका क्लेम सरकार द्वारा देय नहीं होगा।
18. सामग्री देख-रेख एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
19. सामग्री अच्छी हालत में होनी आवश्यक होगी।
20. निविदा की विशेष शर्तें जो भी इस कार्यालय की हो उसे मानी जानी होगी।
21. सफल निविदादाता को स्वीकृत राशि की 5 प्रतिशत सिक्यूरिटी डिपोजिट तत्काल जमा करवानी होगी।
22. अन्य समस्त शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व लोक उपापन एवं पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार रहेगी।
23. दरे समस्त करों सहित देनी होगी। प्रस्तुत दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
24. निविदादाता फर्म **जी.एस.टी.** रजिस्टर्ड होनी चाहिये एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जी.एस.टी. रजिस्टर्ड नहीं होने पर कारण स्पष्ट करते हुए संबंधित साक्ष्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
25. उक्त दरें दर अनुमोदन आदेश जारी होने की तिथि से एक साल तक के लिये मान्य रहेगी।
26. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
27. निविदादाता को पेन कार्ड एवं बैंक पास बुक के पृथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना होगा।
28. निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से 200/- रुपये नगद या जिला निर्वाचन अधिकारी, राजसमन्द के नाम जारी डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र **SPPP** पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in से भी अपलोड कर दरें प्रस्तुत कर सकेंगे। ऐसे निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र की राशि रुपये 200 का जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजसमन्द के नाम जारी डिमान्ड ड्राफ्ट निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में जमा करवाना होगा, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं कि जावेगी।
29. न्यूनतम दरदाता का निर्णय प्रोजेक्ट वेल्यु अथवा आईटम वाईज करने का निर्णय क्रय समिति के द्वारा किया जायेगा।
30. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार राजसमन्द रहेगा।

नोट: क्रमांक 1 से 30 तक की समस्त शर्तें मैंने पढ ली है एवं मुझे स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

